फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मुन्ना खान पठान पुत्र बुंदु खान निवासी जहाजपुर हाल गुलनगरी सांगानेरी गेट भीलवाड़ा

बनाम

अभिषेक पुत्र कालूराम मीणा निवासी रतनपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 922 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
27-03-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खेराड़िया माताजी का खेड़ा प. ह. कुराडिया आराजी सं 1620/2 रकबा 0.7365 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार जाता है ग्राम खेराड़िया माताजी का खेड़ा प. ह. कुराडिया आराजी सं 1620/2 रकबा 0.7365 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 27/03/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/922/

दिनांक- 27/03/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः— प्र.सं.922 / 2023 अनवान मुन्ना खान पठान पुत्र बुंदु खान निवासी जहाजपुर हाल गुलनगरी सांगानेरी गेट भीलवाड़ा बनाम अभिषेक पुत्र कालूराम मीणा निवासी रतनपुरा, गोवर्धन पुत्र मैग्ना मीणा निवासी रतनपुरा, मांगी पत्नी स्वर्गीय श्री मगना मीणा निवासी रतनपुरा, बसंती पत्नी स्व. सुवालाल मीणा निवासी रतनपुरा, गोकुल पुत्र जगा बलाई निवासी कुराडिया, छोटू पुत्र श्री जगा बलाई निवासी कुराडिया, भीमा पुत्र जगह बलाई निवासी कुराडिया, मोडा पुत्र जगा बलाई निवासी कुराडिया, अनीता पुत्री बद्री मीणा निवासी रतनपुरा, जय सिंह पुत्र बद्री मीणा निवासी रतनपुरा, प्रेम देवी पत्नी बद्री मीणा निवासी रतनपुरा, गांडिया पुत्र श्री रघुनाथ मीणा निवासी रतनपुरा, बदाम पत्नी श्री मधु मीणा निवासी रतनपुरा, महावीर पुत्र मधु मीणा निवासी रतनपुरा, मगनी पत्नी बालू मीणा निवासी रतनपुरा, संतोष पुत्र बालू मीणा निवासी रतनपुरा, सीमा पुत्री बालू मीणा निवासी रतनपुरा, मथुरा पत्नी राधेश्याम मीणा निवासी रतनपुरा, केसर लाल पुत्र बद्री लाल मीणा निवासी कुराडिया, खानी पत्नी स्वर्गीय बद्री लाल मीणा निवासी कुराडिया, नर्मदा पुत्री बद्री लाल मीणा निवासी कुराडिया, प्रेम चंद पुत्र बद्री लाल मीणा निवासी कुराडिया, शैतान पुत्र बद्री लाल मीणा निवासी कुराडिया, धापू पत्नी स्वर्गीय श्री गौरी लाल मीणा निवासी कुराडिया, प्रहलाद पुत्र कवरी लाल मीणा निवासी कुराडिया, भूरी पुत्री कवि लाल मीणा निवासी कुराडिया, सोराज पुत्र गोरी लाल मीणा निवासी कुराडिया, हरचंद पुत्र कवरीलाल मीणा निवासी कुराड़िया, मांगी पत्नी स्व. बालू मीणा निवासी कुराडिया, कवरी लाल पुत्र लखमा मीणा निवासी कुराडिया, भूरा पुत्र लकमा राम मीणा निवासी कुराडिया, संतोष पुत्र प्रभु लाल मीणा निवासी कुराडिया, राजस्थान राज्य तहसीलदार जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम खेराड़िया माताजी का खेड़ा प. ह. कुराडिया आराजी सं 1620/2 रकबा 0.7365 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** | पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा